श्री नगर माल और अन्य

बनाम

द ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड और अन्य।

(सिविल अपील नं। 448 का 2018) 19 जनवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, एएम खानविलकर और डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जेजे।]

मोटर वाहन-मोटर दुर्घटना दावा - अपीलकर्ता के 20 वर्षीय बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई - दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मृतक की आय 6,000/- रुपये प्रति माह मानी - इसने उम्र के आधार पर 11 का गुणक लागू किया मृतक के माता-पिता को 4,31,000 रुपये का मुआवजा दिया गया - उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया - अपील पर, माना: ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए ठोस कारण दिए कि मृतक रुपये कमा रहा था। 15,000/- प्रति माह - मृतक की उम्र के आधार पर सही गुणक 17 होगा और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ना भी आवश्यक है - निर्भरता का नुकसान 8,56,800/- रुपये है - अपीलकर्ता भी 15,000 रुपये का हकदार है /- संपत्ति के नुकसान के लिए और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अतिरिक्त रु. 15,000/- - तदनुसार, अपीलकर्ता को 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल रु. 8,86,800/- का मुआवजा दिया गया। एमएसीटी के समक्ष याचिका दायर करने की तारीख से 5 तारीख तक।

अपीलकर्ता नंबर 1 का बेटा, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, एक ट्रक द्वारा उसकी मोटर साइकिल को टक्कर मारने के बाद एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएटीसी) के समक्ष दावा दायर किया। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता द्वारा एफ में अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसके बेटे की मासिक कमाई 15,000/- रुपये थी और इसके बजाय आय 8,000/- रुपये मानी गई। मृतक के माता-पिता की उम्र के आधार पर 11 का गुणक लगाते हुए 4,31,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया। अपील में, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय

माना गया: 1.1 ट्रिब्यूनल ने आय प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए ठोस कारण दिए जिन पर मृतक के पिता ने भरोसा किया था। जिन कंपनियों पर प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप था, उनकी ओर से किसी गवाह से प्रमाण पत्र साबित करने के लिए पूछताछ नहीं की गई। जाहिर तौर पर यह स्थापित करने में विफलता हुई कि मृतक, जो कि सी.ए. की पढ़ाई कर रहा था। 15,000/- रूपये की मासिक आय प्राप्त होती थी। इसलिए, ट्रिब्यूनल द्वारा आय के आकलन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 6][286-सी-डी]

1.2 हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि प्रस्तुत करने में योग्यता है कि ट्रिब्यूनल सही गुणक को लागू करने में विफल रहा और मृतक की आय और निर्भरता के नुकसान की गणना में भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं देने में गलती की। प्रणय सेठी और सरला वर्मा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए, मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए सही गुणक 17 होना चाहिए और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ना भी आवश्यक होगा। . इस आधार पर और चूंकि मृतक कुंवारा था, निर्भरता का नुकसान 8,56,800/- रुपये होगा। अपीलकर्ता इसके हकदार होंगे संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये की राशि। तदनुसार मुआवजे का पुरस्कार 8.86.800/- रुपये निर्धारित किया गया है। अपीलकर्ताओं को 7.5% प्रति वर्ष ब्याज की अनुमति है। एमएसीटी के समक्ष याचिका दायर करने की तारीख से एहसास होने तक (पैरा 7][286-डी-जी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 13 स्केल 12; सरला वर्मा वी.आई. दिल्ली परिवहन कॉर्पोरेशन (2009) 6 एससीसी 21: [2009] 5 एससीआर 1098- पालन किया।

केस लॉ रेफरेंस (2017) 13 स्केल 12 ने पैरा7 का पालन किया [2009] 5 एससीआर 1098 ने पैरा7 का पालन किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 448/ 2018,

2013 के एसबीसीएम संख्या 3193 में राजस्थान के उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 30.05.2016 से।

अपीलकर्ताओं के लिए एस एन गुप्ता, आयुष गुप्ता और अरविंद कुमार गुप्ता, सलाहकार। .

उत्तरदाताओं के लिए मोहन बाबू अग्रवाल, सेलेस्टे अग्रवाल, चेतन्य सिद्धार्थ, राकेश कुमार गुप्ता और मुकेश कुमार शर्मा, सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. वर्तमान अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) के फैसले की पुष्टि करने वाले फैसले से उत्पन्न हुई है।

2. 15 नवंबर 2008 को रात करीब 9 बजे एक दुर्घटना घटी. सोनू कुमार गोयल मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंडी नीम का थाना से अपने घर की ओर जा रहा था। एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे-32-जीए-0398 है, ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप सोनू कुमार को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा प्रतिवादी उस मोटर वाहन का पंजीकृत मालिक है जिसका बीमा पहले प्रतिवादी के साथ किया गया था। अपीलकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया। 16 जुलाई 2013 के अपने आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना ट्रक के चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। बीमाकर्ता को मालिक और ड्राइवर के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया गया था।

3. मुआवजे के दावे का आकलन करते समय, ट्रिब्यूनल ने कहा कि मृतक कुंवारा था, उसकी उम्र 20 वर्ष थी। मृतक की आय पर, ट्रिब्यूनल ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2008 के महीनों के लिए प्रथम अपीलकर्ता, जो मृतक का पिता है, द्वारा इस मामले के समर्थन में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया कि मृतक की मासिक कमाई 15,000 रुपये थी। /-. ट्रिब्यूनल ने संकेत दिया कि प्रमाणपत्रों को विधिवत साबित नहीं किया गया है। मृतक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा था, ट्रिब्यूनल ने प्रति माह 6,000/- रुपये की आय को अपनाया और चूंकि मृतक एक था स्नातक, इसने व्यक्तिगत खर्चों के लिए प्रति माह 3,000/- रुपये की कटौती की। मृतक के माता-पिता की उम्र के आधार पर 11 का गुणक लगाया गया था। तदनुसार, निर्भरता के नुकसान की गणना 3.96,000/- रुपये की गई और पारंपरिक मदों को जोड़ने के बाद, कुल 4,31,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया।

4. अपीलकर्ताओं और बीमाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। 30 मई 2016 के फैसले से उच्च न्यायालय ने आवा ट्रिब्यूनल में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह आग्रह करते हुए मुआवजे के पुरस्कार पर हमला किया है:

(i) ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने यह इंगित करने के लिए प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र को स्वीकार करने से इनकार करके गलती की कि मृतक की मासिक आय 15,000/- रुपये थी;

(ii) भविष्य की संभावनाओं के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई; सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 1 एस.सी.आर.

(iii) अपनाया जाने वाला गुणक मृतक की उम्र पर आधारित होना चाहिए, न कि माता-पिता की उम्र पर; और

(iv) ब्याज 9% प्रति वर्ष की दर से दिया जाना चाहिए 6%प्रति वर्ष के बजाय ,दूसरी ओर, बीमाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि दोनों के समवर्ती निष्कर्षों के साथ इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

6. ट्रिब्यूनल ने उन आय प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने से इनकार करने के ठोस कारण बताए हैं जिन पर मृतक के पिता ने भरोसा किया था। जिन कंपनियों पर प्रमाणपत्र जारी करने का आरोप था, प्रमाणपत्रों को साबित करने के लिए उनकी ओर से किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। जाहिर तौर पर यह स्थापित करने में विफलता हुई कि मृतक, जो कि सी.ए. की पढ़ाई कर रहा था। 15,000/- रूपये की मासिक आय प्राप्त होती थी। इसलिए, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल द्वारा आय के आकलन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

7. हालाँकि, हम उस दलील में दम पाते हैं जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि ट्रिब्यूनल सही गुणक को लागू करने में विफल रहा और मृतक की आय और निर्भरता के नुकसान की गणना में भविष्य की संभावनाओं का लाभ नहीं देने में गलती की। . नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हुए! और सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम' में मृतक की उम्र को ध्यान में रखते हुए सही गुणक 17 होना चाहिए। संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त की भी आवश्यकता होगी। इस आधार पर और चूंकि मृतक कुंवारा था, निर्भरता का नुकसान 8,56,800/- रुपये होगा। अपीलकर्ता संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000/- रुपये की राशि के हकदार होंगे। तदनुसार मुआवजे का पुरस्कार 8,86,800/- रुपये निर्धारित किया गया है। अपीलकर्ताओं को 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है। एम.ए.सी.टी. के समक्ष याचिका दायर करने की तारीख से एहसास होने तक.

8. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील स्वीकार

सर्वम द्विवेदी